21.3.2023

नामान्तरण अपील वाद सं0 13/2015–16

रामेश्वर यादव प्रति भोलानाथ यादव वगैरह

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, धुरकी के उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं0 5/2015–16 में दिनांक 09.10.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, धुरकी से अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, धुरकी से मूल अभिलेख प्राप्त है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रस्तुत वाद अपीलार्थी के द्वारा मौजा सगमा के खाता सं0 200, 140, 07, 01, 154 प्लॉट सं0 1231, 419, 420, 418, 501, 1003, 43, 434, 483, 423, 424, 455, 713, 798, 763, 525, 530, की भूमि का दिए गए नामांतरण आवेदन को अंचल अधिकारी धुरकी ने खारिज कर किए जिसके विरूद्ध दायर किया जा रहा है।

02 वास्तविक्ता यह है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी आपस में सहोदर भाई है उनके पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने तीनों लड़को के बीच बंटवारा कर दिए तथा अपने लिए कुल भूमि बुढ़ास रखा लिए उनके मरने के बाद बुढ़ास की जमीन का भी बंटवारा आपस में कर लिए एवं उसी अनुरूप दखल कब्जे में है। डिमाण्ड अपने अपने नाम नहीं कराये है चूकि अपीलार्थी अपनी भूमि को अपने पुत्रों के बीच बांटना है जिसके लिए $\frac{1}{3}$ भूमि का उत्तराधिकार नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन दिए जिस पर प्रत्यर्थी के द्वारा अंचल अधिकारी के आपति दिए अंचल अधिकारी ने बिना सुनवाई किए बैक डेट में अपीलार्थी के आवेदन को दिनांक 09.10.2015 की तिथि में खारिज कर दिए।

आधार

(क) अंचल अधिकारी ने बिना सुनवाई किए प्रत्यर्थी के मेल में आकर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिए जो पूर्णतः गलत है। अतः अंचल अधिकारी धुरकी का आदेश खारिज योग्य है।

(ख) स्वयं अंचल अधिकारी धुरकी ने अपने आदेश में लिखे है कि व्यवस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी तो इन्होंने बिना सुने कैसे आदेश पारित कर दिए जो गलत है इस आधार पर अंचल अधिकारी धुरकी का आदेश खारिज योग्य है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

(ग) बंटवारा से प्राप्त भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है इसे अनदेखी कर अंचल अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिए अतः अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

(घ) हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने भी बंटवारा थी पुष्टि करते हुए नामांतरण हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया उसकी भी अनदेखी कर अंचल अधिकारी ने आवेदन खारिज कर दिया इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

(ङ) अंचल अधिकारी ने विधि व्यवस्था का उल्लेख कर आवेदन खारिज कर दिए जब उन्होंने स्वयं लिखा है कि व्यवस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो सकी तो वो कैसे जान गए थी विधि व्यवस्था भंग हो सकती है यह एक प्रत्यर्थी के मेल में आकर अंचल अधिकारी ने किया है इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

(च) राम प्रसाद यादव ने निरंजन यादव हेतु वास्ते आवेदन दिया इसे गलत ढंग है अंचल अधिकारी ने आवेदन की मान्यता की इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, धुरकी के द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं0 5/2015–16 में दिनांक 09.10.2015 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु तथा अपीलार्थी के नाम उत्तराधिकार नामांतरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपीलार्थी द्वारा अपील वाद में जो भी तथ्य लाया गया है वह सरासर गलत वे बुनियाद व मन गढंत है।

02 अपील वाद के पारा (कण्डिका सं0 02) में जो तथ्य लाया गया है वह तथ्य बिलकुल न्याय से परे है चूँकि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी दोनों सहोदर भाई है व इनलोगों के पिता के मृत्यु के पश्चात् इनलोगों के बीच मौखिक बंटवारा हुआ जो परन्तु प्रत्यर्थी लोगों पंच का बंटवारा माना लेकिन अपीलार्थी कुछ खाश भूमि का प्लॉट अपने नाम से करते हुए अचंल अधिकारी के पास नामांतरण हेतु गए जिसमें प्रत्यर्थी की ओर से विरोध कर दिया गया, चूँकि सच्चाई है कि नामांतरण वाद में जो बंटवारा की बात कही जा रही है गलत है चूँकि दो भाई जो प्रत्यर्थी है उनका हस्ताक्षर नहीं है अतः अंचल अधिकारी के यहाँ खारीज कर दिया गया जो सत्य है अतः अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील खारीज योग्य है।

03 अपीलार्थी द्वारा अपने अपील में जो प्रत्यर्थी के मेल में आकर अंचल अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाना भी सरासर गलत है

लगातार .....

Scanned with CamScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

चूँकि अंचल अधिकारी को उक्त नामांतरण करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील खारीज योग्य है।

04 अपीलार्थी द्वारा अपने आधार के कॉलम (ग) में जो तथ्य लाया गया है वह सरासर गलत है चूँकि बंटवारा के अनुसार कोई पक्ष अपना अपना हिस्सा के मुताबिक कब्जा में नहीं है इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा विरोध हुआ तत्पश्चात् अंचल अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया।

05 अपीलार्थी द्वारा के कण्डिका (घ) में जो बात लाया गया है उसमें सच्चाई है कि हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक को अपीलार्थी अपने मेल में लाकर प्रतिवेदन समर्पित किए परन्तु सभी हिस्सेदार के पक्ष में नहीं भेजे अतः अंचल अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया चूँकि तीनों भाई का सहमति नहीं था।

06 कण्डिका (ङ) में भी जो तथ्य लाया गया है वह भी सरासर गलत है अतः अपील नामांतरण खारीज योग्य है।

अतः प्रत्यर्थी द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनकी ओर से दाखिल राजस्व दस्तावेज का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के सदस्य है तथा उभय पक्ष के बीच उनके पैतृक भूमि में आपसी बंटवारा हो चुका है जिसके आधार पर अपीलार्थी अपनी हिस्से की भूमि को उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र दिया गया जिसमें अंचल अधिकारी धुरकी के द्वारा प्रत्यर्थी के आपत्ति आवेदन पत्र पर उतराधिकार बंटवारा नामांतरण को अस्वीकृत कर दिया गया। उतराधिकार बंटवारा नामांतरण हेतु सभी हिस्सेदार का आपसी सहमति होना आवश्यक है। **" बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पत्रांक–9/दा0खा0 निदेश 26/07–413(9), दिनांक 04.07.2008, में क्रमांक 5 विभागीय परिपत्र संख्या 686 (9) रा0 दिनांक 26.11.2007"** का अपीलार्थी के द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, धुरकी के द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं0 5/2015–16 में दिनांक 09.10.2015 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.04.11 10:07:21 +05:30
Location: 192.168.1.46

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Scanned with CamScanner